फॉर्म नं. सीएए–2

धारा 230 (3) और नियम 6 और 7 के अनुसार,
माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बेंच, चंडीगढ़ के समक्ष,
कंपनी आवेदन संख्या (सीएए)47/सीएचडी/सीएचडी/2022
कंपनी (समझौता, प्रबंधन और समामेलन) नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 के मामले में।
और
के मामले में

चेतन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय : एससीएफ 18–19, सेक्टर–28सी, चंडीगढ़–160002
... (हस्तांतरणकर्ता कंपनी/आवेदक कंपनी 1)

जेटीएल इंफ्रा लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : एससीएफ 18–19, सेक्टर–28सी, चंडीगढ़–160002
... (हस्तांतरिती कंपनी/आवेदक कंपनी 2)

चेतन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रतिभूतित लेनदारों और अप्रतिभूतित लेनदारों की बैठकों और जेटीएल इंफ्रा लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूतित और अप्रतिभूतित लेनदारों की बैठकों की सूचना का विज्ञापन।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 26 सितंबर, 2022 (**'आदेश'**) के एक आदेश द्वारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (**'एनसीएलटी'/'ट्रिब्यूनल'**), चंडीगढ़ बेंच ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 के तहत चेतन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("हस्तांतरणकर्ता कंपनी") और जेटीएल इंफ्रा लिमिटेड ("हस्तांतरिती कंपनी") और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों (**"योजना"**) के समामेलन के प्रबंधक की योजना में शामिल प्रबंधन पर विचार करने और यदि उचित लगता है, अनुमोदन के लिए, संशोधन के बिना या साथ के उद्देश्य के लिए आयोजित हस्तांतरणकर्ता प्रतिभूतित लेनदारों और अप्रतिभूतित लेनदारों की बैठक और हस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूतित लेनदारों और अप्रतिभूतित लेनदारों की बैठकें करने का निर्देश दिया है।

उक्त आदेश के अनुसरण में और उसमें निर्देशित के अनुसार, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') के माध्यम से नीचे उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी और पात्र प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय पर अपनी संबंधित बैठकों में भाग लें।

बैठकों की अनुसूची :

हस्तांतरणकर्ता कंपनी/आवेदक कंपनी 1 के संबंध में :

क्र. सं.	बैठक का वर्ग	बैठक का दिन व तिथि	बैठक का समय	बैठक का स्थान	रिमोट ई–वोटिंग अवधि
1.	प्रतिभूतित लेनदार	शनिवार, 19 नवंबर, 2022	सुबह 9.30	पंजीकृत कार्यालय, वीसी द्वारा बैठकों के स्थान	से : 16 नवंबर, 2022 से सुबह 09.00 (भा.मा.स) तक : 18 नवंबर, 2022 से शाम 05.00 (भा.मा.स)
2.	अप्रतिभूतित लेनदारों		सुबह 10.30		

हस्तांतरिती कंपनी/आवेदक कंपनी 2 के संबंध में :

क्र. सं.	बैठक का वर्ग	बैठक का दिन व तिथि	बैठक का समय	बैठक का स्थान	रिमोट ई–वोटिंग अवधि
1.	इक्विटी शेयरधारक	रविवार, 20 नवंबर, 2022	दोपहर 03.30	पंजीकृत कार्यालय, वीसी द्वारा बैठकों के स्थान	से : 17 नवंबर, 2022 से सुबह 09.00 (भा.मा.स) तक : 19 नवंबर, 2022 से शाम 05.00 (भा.मा.स)
2.	प्रतिभूतित लेनदार		दोपहर 12.30		
3.	अप्रतिभूतित लेनदार		दोपहर 01.30		

व्याख्यात्मक विवरणों और अपेक्षित संलग्नकों के साथ उपरोक्त बैठकों के संबंधित सूचनाओं का पूरा सेट (**ए**). हस्तांतरिती कंपनी के सभी शेयरधारकों को भेजा गया है, जिनके नाम 07.10.2022 को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर/लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में प्रदर्शित हैं और (**बी**). प्रतिभूतित लेनदारों/अप्रतिभूतित लेनदारों जिनके नाम 30.06.2022 को संबंधित कंपनियों की पुस्तकों में प्रदर्शित हैं को भेजी जा चुकी है। सूचनाएं (जिसकी ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं थी) 17.10.2022 को ईमेल या कूरियर के माध्यम से भेजी गई है।

यदि आवश्यक हो, और आगे की जानकारी के प्रसार को सक्षम करने के उद्देश्य से, प्रत्येक आवेदक कंपनी के प्रत्येक उपरोक्त प्रतिभूतित लेनदार / अप्रतिभूतित लेनदार अपने ईमेल पते **finance@jtlinfra.com** पर एक ईमेल भेजकर अपडेट कर सकते हैं। यदि हस्तांतरिती कंपनी के किसी शेयरधारक की ईमेल आईडी अपडेट नहीं है, वे अपडेट प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी को **beetal@rediffmail.com** पर हस्तांतरिती कंपनी के आरटीए से भी संपर्क कर सकते हैं।

उपरोक्त बैठकों के प्रयोजन के लिए, हस्तांतरिती कंपनी और हस्तांतरणकर्ता कंपनी ने अधिकृत एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') को नियुक्त किया है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोटिंग का उपयोग करने वाले इक्विटी शेयरधारक, प्रतिभूतित और अप्रतिभूतित लेनदारों द्वारा वोटिंग की सुविधा संबंधित बैठकों के समय के साथ–साथ संबंधित बैठकों (रिमोट ई–वोटिंग सुविधा) से पूर्व सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी जिनके नाम संबंधित सूचनाओं में वर्णित कट–ऑफ डेट्स तक दर्ज किए गए हैं। एक इक्विटी शेयरधारक/लेनदार जिसने बैठक से पहले वोट डाला है, वह भी वीसी के माध्यम से बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन अपनी संबंधित बैठकों के दौरान फिर से वोट देने का हकदार नहीं होगा।

कंपनी (समझौता, प्रबंधन और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 के तहत तहत उक्त सूचना, व्याख्यात्मक विवरण और अन्य संलग्नकों के साथ प्रबंधन की योजना की प्रतियां मुफ्त में संबंधित हस्तांतरणकर्ता कंपनी और हस्तांतरिती कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक की तारीख तक सभी कार्य दिवसों में सुबह 11.00 बजे (भा.मा.स) और शाम 5.00 बजे (भा.मा.स.) के बीच प्राप्त की जा सकती हैं और यह सीडीएसएल की वेबसाइट **www.evotingindia.com, www.jtlinfra.com** पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा, हस्तांतरिती कंपनी की प्रत्येक बैठक की सूचनाएं क्रमशः बीएसई लिमिटेड और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर क्रमशः **www.bseindia.com** और **www.msei.in** पर भी उपलब्ध है। चूंकि संबंधित आवेदक कंपनियों के इक्विटी शेयरधारकों और लेनदारों की बैठकें वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं, इसलिए इक्विटी शेयरधारकों और लेनदारों की कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होगी। इसके अनुसार, बैठकों के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

माननीय ट्रिब्यूनल ने उपरोक्त बैठकों के लिए श्रीमती मुनिशा गांधी को अध्यक्ष, श्री. विशाल अग्रवाल को वैकल्पिक अध्यक्ष और श्री विपुल गर्ग को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। योजना, यदि उपरोक्त बैठकों में अनुमोदित है, तो माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच के अनुमोदन के अधीन होगी।

हस्ता./–
श्रीमती मुनिशा गांधी
स्थान : चंडीगढ़ — उपरोक्त बैठकों के लिए
दिनांक : 17.10.2022 — माननीय एनसीएलटी द्वारा नियुक्त अध्यक्ष

ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

1ला तल, एससीओ–33–34–35, सेक्टर–17ए, चंडीगढ़
(3रे एवं 4थे तल पर भी अतिरिक्त स्थान आबंटित)

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत समन्स

मामला सं.: ओए/2480/2018

सेवा में, — **इंडियन ओवरसीज बैंक** बनाम **ईजीटेक ग्लोबल**

1	**ईजीटेक ग्लोबल, मै. ईजीटेक ग्लोबल प्राईवेट लिमिटेड,** कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय हैः ई–92, 2रा तल, मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश–II, नई दिल्ली–110048, द्वारा दिवालिया समाधान कर्मी **श्री अखिलेश गुप्ता** जिनका कार्यालय हैः ए–16/9, बसंत विहार, नई दिल्ली–110057
2	**श्री गोपाल कृष्ण कालरा, पुत्र स्व. श्री सीडी कालरा,** निवासीः ई–92, 2रा तल, मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश–II, नई दिल्ली–110048, **साथ हीः** ए–40, 2रा तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–II, नई दिल्ली–110020, सेन्ट्रल दिल्ली–110020 **साथ हीः** बी–78, सेक्टर–83, नोएडा, उत्तर प्रदेश, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश
3	**श्रीमती नीलम कालरा, पत्नी श्री गोपाल कृष्ण कालरा,** निवासीः ई–92, 2रा तल, मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश–II, नई दिल्ली–110048, **साथ हीः** ए–40, 2रा तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–II, नई दिल्ली–110020, सेन्ट्रल दिल्ली–110020 **साथ हीः** बी–78, सेक्टर–83, नोएडा, उत्तर प्रदेश, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश

जैसा कि माननीय अधिकरण **रु. 13,13,04,693/–** के ऋणों की वसूली के लिए दाखिल (ओए) में अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन पर समन्स/सूचना सहर्ष जारी किया है। (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न)

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार प्रतिवादियों को निम्न निदेश दिया जाता है।

i) समन्स की सर्विस के तीस दिनों के भीतर यह कारण दर्शाएं कि मांगी गई राहतों को क्यूं न स्वीकार की जाए

ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3 ए के अंतर्गत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों के विवरणों को उद्घाटित करना

iii) सम्पत्तियों के एटैचमेन्ट के लिए आवेदन की सुनवाई तथा निपटारे के लम्बित होने की स्थिति में मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अंतर्गत उद्घाटित किसी अन्य परिस्थितियों एवं सम्पत्तियों अथवा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का व्यवसाय या निपटारा करने से आपको वंचित किया जाता है।

vi) आप अधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त ऐसी किसी भी परिसम्पत्तियों जिस पर प्रतिभूति हित निर्मित है एवं/ अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अन्तर्गत निर्दिष्ट या उद्घाटित किसी अन्य परिसम्पत्तियों या सम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से आप अंतरण नहीं करेंगे।

v) आप प्रतिभूत परिसम्पत्तियों या व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों अथवा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री द्वारा उगाही की गई बिक्री राशि का ब्यौरा देने तथा ऐसी परिसम्पत्तियों पर प्रतिभूति हित धारित करने वाले बैंक या वित्तीय स्थानों में प्रबंधित खाता में उक्त बिक्री राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप लिखित स्पष्टीकरण दें तथा उसकी एक प्रति आवेदक के पास प्रस्तुत करें तथा **2.11.2022 को 10.30 को पूर्वा.** में रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों, अन्यथा आवेदन की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज दिनांक 30.8.2022 को दी गई।

समन जारी करने वाले
प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र ए
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

कॉम्पैक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	कॉम्पैक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	20 अप्रैल 2012
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज–दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U36100HR2012PTC045685
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालयः** कॉम्पैक हाउस, वीपीओ शादीपुर, खजूरी रोड, यमुना नगर, हरियाणा, 135001 भारत **कॉर्पोरेट कार्यालयः** 81–एएल, मॉडल टाउन, कालरा नेत्र अस्पताल के सामने, यमुना नगर–135001, हरियाणा, भारत
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	**14 अक्टूबर, 2022** (आदेश की प्रति 17.10.2022 को प्राप्त हुई)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	**12 अप्रैल 2023** (दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत की तारीख से 180 वां दिन)
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**चंदन भाटिया** **पंजी. सं.:** IBBI/IPA-001/IP-P-02320/2021-2022/13614 **एएफए वैध : 12.05.2023 तक**
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	**पता :** मकान नं. 1321, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सैक्टर 29, फरीदाबाद, हरियाणा – 121008 **ईमेल :** chandanbhatia.ip@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई–मेल	**पता :** मकान नं. 1321, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सैक्टर 29, फरीदाबाद, हरियाणा – 121008 **ईमेल :** cirp.compaqinternational@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	**28 अक्टूबर, 2022**
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नही
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नही
14.	(क) संबंधित प्रपत्र उपलब्ध है (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है:	(क) वेब लिंक : https://ibbi.gov.in/home/downloads (ख) लागू नही

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ पीठ ने दिनांक **14 अक्टूबर, 2022** को **कॉम्पैक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है। (17.10.2022 को प्राप्त)।

कॉम्पैक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **28 अक्टूबर, 2022** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता./–
चंदन भाटिया
दिनांक : 17.10.2022 — अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, कॉम्पैक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
स्थान : फरीदाबाद — पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001/IP-P-02320/2021-2022/13614

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (धारा 82/83 Cr.P.C. देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **अभिषेक** पुत्र चन्द्रपाल निवासी एफ–1/186, नजदीक मुर्गी मार्केट, सुन्दर नगरी, दिल्ली ने प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 273/2016 धारा 379/411 भा.द.स. थाना मधु विहार, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **अभिषेक** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा धारा 82 Cr.P.C. जारी की जाती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 273/2016 धारा 379/411 भा.द.स. थाना मधु विहार, दिल्ली के उक्त अभियुक्त **अभिषेक** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए **दिनांक 03.01.2023** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसारः सुश्री दीपाक्षी राणा
महानगर दण्डाधिकारी 08, कोर्ट नं. 49,
DP/1668/ED/22 — **शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली**

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

HDB FINANCIAL SERVICES

पंजीकृत कार्यालयः "राधिका", दूसरी मंजिल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009, गुजरात, पिन कोडः 380009, शाखा कार्यालयः ताजपुरिया पैलेस कजरिया टाइलों के ऊपर, कुकरैल पुल के पास, जर्लस्टा शोरूम के बगल में, शक्ति नगर, फैजाबाद रोड, लखनऊ–226016

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस

आप नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं और गारंटरों ने आपकी अचल संपत्तियां (प्रतिभूत) में अपनी अचल संपत्तियों को गिरवी रखकर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से ऋण (ऋणों) / वित्तीय सुविधा (सुविधाओं) प्राप्त की है। आपके डिफॉल्ट के परिणामस्वरूप आपका ऋण गैर–निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके बाद, कंपनी ने वित्तीय संपत्ति के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसकी विषय–वस्तु प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार आप पर वैकल्पिक सेवा के रूप में प्रकाशित की जा रही है।

उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि, धारा 13(2) दिनांक के तहत मांग नोटिस का विवरण, नोटिस में दावा की गई राशि, एनपीए तिथि और प्रतिभूतियों का विवरण नीचे दिए गए हैंः

1. **उधारकर्ता और सह–उधारकर्ताओं का नामः** शाहबाज़ खान–एच.नं–115, आजाद नगर कॉलोनी, श्याम गंज, बरेली–243001 उत्तर प्रदेश और इसके अलावा–बांके हाफिजपुर मरूफ कटरा चाँद खान बरेली–243001– मोहम्मद शरीफ खान –न्यू सकलानी ऑटो मोबाइल 115 आजाद नगर कॉलोनी पीलीभीत बाई पास रोड श्याम गनी बरेली उत्तर प्रदेश– 243001; **ऋण खाता संख्या**–3028634; ऋण राशिः रु. 2505373/(रुपये पच्चीस लाख पांच हजार तीन सौ तिहत्तर मात्र), **मांग सूचना** दिनांकः 29.09.2022; दावा की गई राशिः 27.09.2022 तक रु.2420199/–(चौबीस लाख बीस हजार एक सौ निन्यानवे रुपये मात्र) और वास्तविक वसूली तक भविष्य संविदात्मक ब्याज के साथ आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि ; एनपीए दिनांकः 02.09.2022; **प्रतिभूति का विवरणः** हाजियापुर /कटरा चाँद खान खान तहसील और जिला बरेली में स्थित 100.00 वर्ग मीटर का घर और – निम्न रूप में चौहद्दी(इसके बाद प्रश्न में संपत्ति कहा जाता है) – संपत्ति क्षेत्रः पूर्व–भूमि कैंट क्षेत्र, पश्चिम–सरकारी सड़क , उत्तर–भूमि जमुना और दक्षिण– भूमि सरस्वती।

इसलिए आप उधारकर्ता, सह–उधारकर्ताओं और गारंटरों को इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित अतिरिक्त ब्याज के साथ उपरोक्त मांग की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने के लिए कहा जाता है। ऐसा न करने पर अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त प्रतिभूतियों को लागू करने के लिए अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए विवश होना होगा। **(उपलब्ध समय के संबंध में, प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आमंत्रित किया जाता है।)** कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको बिक्री, पट्टे या अन्यथा हमारी सहमति के बिना उपरोक्त संदर्भित प्रतिभूतियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है और अधिनियम की धारा 13(13) के किसी भी गैर–अनुपालन पर उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय है।

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री कुश कपूर फोनः 9838076150, विकास आनंद – 9711010384 से संपर्क करें।

दिनांकः 17.10.2022 **स्थान** : उत्तर प्रदेश **हस्ता / –अधिकृत अधिकारी कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड,**

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

TATA

पंजीकृत कार्यालयः 11वां तल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई–400013, सीआईएन नं.: यू67190एमएच2008पीएलसी187552
शाखा पता : टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि., 7वां तल, वीडियोकॉन टॉवर, ब्लॉक ई–1, झण्डेवालान एक्स., नई दिल्ली–110055

अधिग्रहण सूचना

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत एक मांग सूचना दिनांकित 22.05.2021 निर्गत की है, जिसमें ऋणकर्ता एवं सह–ऋणकर्ताओं/गारंटरों, अर्थात् **(1) दीप शिखा मिसरा अर्थात् दीपशिखा मिश्रा,** 6एच, टाईप–4, एमएस फ्लैट्स, मिंटो रोड, कॉम्प्लेक्स मिंटो रोड, नई दिल्ली–110002, मोबाइल : 9999883990, यहां पर भी : मकान संख्या ए के–1/98, एच.आई.जी. फ्लैट्स, अभय खण्ड–1, पी.एस. इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014, **(2) मधुर लता मिश्रा अर्थात् मधुर लता,** मकान संख्या ए के–1/98, एच.आई.जी. फ्लैट्स, अभय खण्ड–1, पी.एस. इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014, यहां पर भी : 6एच, एम.एस.डी. फ्लैट्स, मिंटो रोड, नई दिल्ली–110002 **(3) प्रियंका मिश्रा,** मकान सं. ए के–1/98, एच.आई.जी. फ्लैट्स, अभय खण्ड–1, पी एस. इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014, **(4) मैसर्स राघवेंद्र हॉस्पिटल,** अपने स्वामी के माध्यम से 243, शक्ति खंड–3, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014, **(5) स्वर्गीय अनुराग मिश्रा** के विधिक उत्तराधिकारी, 6एच, टाईप–4, एमएस फ्लैट्स, मिंटो रोड, कॉम्प्लेक्स मिंटो रोड, नई दिल्ली–110002, यहां पर भी : स्वर्गीय अनुराग मिश्रा के विधिक उत्तराधिकारी, मकान सं. ए के–1/98, एच.आई.जी. फ्लैट्स, अभय खंड–1, पी.एस. इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014 को ऋण खाता सं. 21779423 द्वारा **22.05.2021** के अनुसार **रु. 1,70,71,173/–(रुपये एक करोड़ सत्तर लाख इकहत्तर हजार एक सौ तिहत्तर मात्र)** की राशि का ब्याज तथा दांडिक ब्याज, शुल्कों, लागतों, इत्यादि के साथ उक्त सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ऋणकर्तागण निर्धारित देयराशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, **13 अक्टूबर 2022** को, सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, **रु. 1,70,71,173/–(रुपये एक करोड़ सत्तर लाख इकहत्तर हजार एक सौ तिहत्तर मात्र)** की एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज तथा **23.05.2021** से प्रभावी दांडिक ब्याज, शुल्कों, लागतों, इत्यादि हेतु टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

संपत्तियों की अनुसूची

निर्मित संपत्ति मकान/फ्लैटसंख्या ए.के.–1/98 (एचआईजी), क्षेत्र माप 167.45 वर्ग मीटर, जो अभय खण्ड–I, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका अधिक विशिष्ट रूप में उस विक्रय विलेख दिनांकित 30.12.2009 में विवरण दिया गया है जो मधुर लता मिश्रा के पक्ष में निष्पादित है। **परिसीमन इस प्रकार :** पूर्व– अन्य की संपत्ति, पश्चिम– सड़क, उत्तर– एचआईजी फ्लैट सं. 99, दक्षिण– एचआईजी फ्लैट सं. 97

दिनांकः 18.10.2022 — हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः गाजियाबाद — कृते टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

ई–नीलामी बिक्री सूचना

Bank of India Relationship beyond banking

सम्पतियों की ई–नीलामी – 25.11.2022

बैंक ऑफ इंडिया जोनल कार्यालय, नई दिल्ली क्षेत्र, "स्टार हाउस", एच–2, कनॉट सर्कस, मिडल/आउटर सर्कल, पीवीआर प्लाजा हॉल के पास, नई दिल्ली–110001, फोन नं. 011–28844099

शुद्धिपत्र

यह खाता A/c ए. एस. प्रिन्टर्स, बैंक ऑफ इंडिया, मीरा बाग शाखा में ई–नीलामी दिनांक 25.11.2022 के लिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) और जनसत्ता (हिंदी) दिनांक 14.10.2022 में प्रकाशन का शुद्धिपत्र है।

यह शुद्धिपत्र A/c ए. एस. प्रिन्टर्स, बैंक ऑफ इंडिया, मीरा बाग शाखा के खाते में ई–नीलामी के लिए सूचीबद्ध सम्पति का विवरण गलत छपने से संबंधित सभी संबंधितों को दिया जा रहा है.

इसे निम्नानुसार संशोधित किया जा रहा है:

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों)/बंधक(ओं) का नाम	संपति का विवरण
1.	मेसर्स ए. एस. प्रिन्टर्स मालिक–निधी आनंद गारंटर – संजीव नाथ आनंद	आवासिय संपति भूतल पर स्थित मकान नं. 164, खसरा नं. 1010/560, गली नं. 7, बिहारी कॉलोनी, गाँव चंद्रावली, शाहदरा, दिल्ली–110032 में है जो श्री संजीव नाथ आनंद के नाम है। परिमाप 104 वर्ग गज है। (यह संपति बैंक के भौतिक कब्जे में है।)
2.		आवासिय संपति प्रथम तल पर स्थित मकान नं. 164, खसरा नं. 1010/560, गली नं. 7, बिहारी कॉलोनी, गाँव चंद्रावली, शाहदरा, दिल्ली–110032 में है जो श्री संजीव नाथ आनंद के नाम है। परिमाप 104 वर्ग गज है। (यह संपति बैंक के भौतिक कब्जे में है।)

स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी,
दिनांक :14.10.2022 — बैंक ऑफ इंडिया

दक्षिणी रेलवे
(निर्माण संगठन)

ई–निविदा सूचना संख्या 23–सीईसीएनएमएस–ओटी–ई–303695 दिनांकः 10.10.2022
ई–निविदा सूचना संख्या 24–सीईसीएनएमएस–ओटी–ई–302707 दिनांकः 10.10.2022
ई–निविदा सूचना संख्या 25–सीईसीएनएमएस–ओटी–ई–302709 दिनांकः 10.10.2022
ई–निविदा सूचना संख्या 26–सीईसीएनएमएस–ओटी–ई–306536 दिनांकः 10.10.2022
ई–निविदा सूचना संख्या 27–सीईसीएनएमएस–ओटी–ई–304031 दिनांकः 12.10.2022
ई–निविदा सूचना संख्या 28–सीईसीएनएमएस–ओटी–ई–304036 दिनांकः 12.10.2022
ई–निविदा सूचना संख्या 29–सीईसीएनएमएस–ओटी–ई–304040 दिनांकः 12.10.2022
ई–निविदा सूचना संख्या 30–सीईसीएनएमएस–ओटी–ई–307335 दिनांकः 12.10.2022

भारत के राष्ट्रपति के लिये तथा उनकी ओर से मुख्य अभियंता, निर्माण, दक्षिणी रेलवे, एगमोर, चेन्नई–600 008 द्वारा हमारे पोर्टल **www.ireps.gov.in** में दी गयी निविदा आमंत्रण सूचना (निआसू) के अनुसार निम्नलिखित कार्य(यों) के लिये ई–निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदक(कों)/ठेकेदार(रों) जो निविदा हेतु आवेदन करने के इच्छुक हैं, उन्हें पोर्टल **www.ireps.gov.in** पर नामांकित होने की आवश्यकता है तथा केवल ऑनलाइन निविदायें ही स्वीकार्य होंगी।

कार्य का नाम
नागापट्टिनम और तिरुथुराईपुंडी (वाया) तिरुक्कुवलाई को जोड़ने वाली प्रस्तावित नवीन बीजी लाइन। नागापट्टिनम और तिरुथुराईपुंडी के बीच सीएच.27100 से सीएच.31100 में प्रतिधारक दीवाल के निर्माण और किनारे बनाने में 6 मिमी स्टोन मेटल चिप्स की आपूर्ति एवं फैलाव करना, पारंपरिक ट्रैक ब्लैंकेटिंग, मोड़नुमा नाली बनाकर तथा उसकी विधिवत संस्थापना करके किनारे में मृदा कार्य करना (दो लिफाफा प्रणाली)।
नागापट्टिनम और तिरुथुराईपुंडी (वाया) तिरुक्कुवलाई को जोड़ने वाली प्रस्तावित नवीन बीजी लाइन। तिरुथुराईपुंडी और तिरुक्कुवलाई (तिरुक्कुवलाई यार्ड रोड 1 और 2 सहित) के बीच सीएच.21600 से सीएच.23100 में मोड़नुमा नाली की विधिवत व्यवस्था और स्थापना करके किनारे बनाने के लिए मृदा कार्य करना (दो लिफाफा प्रणाली)।
नागापट्टिनम और तिरुथुराईपुंडि (वाया) तिरुक्कुवलाई को जोड़ने वाली प्रस्तावित नवीन बीजी लाइन। नागापट्टिनम और तिरुथुराईपुंडी के बीच लघु पुलों (संतुलनकारी कार्य) सीएच.3000 से सीएच.36500 का प्रस्तावित निर्माण (दो लिफाफा प्रणाली)।
नागापट्टिनम और तिरुथुराईपुंडी (वाया) तिरुक्कुवलाई को जोड़ने वाली प्रस्तावित नवीन बीजी लाइन। नागापट्टिनम और तिरुथुराईपुंडी के बीच सीएच. 8000 से सीएच. 13000 में ब्लैंकेटिंग, मोड़नुमा नाली की विधिवत व्यवस्था और स्थापना करते हुये किनारे में मृदा कार्य, प्रतिधारक दीवाल का निर्माण, 6 मिमी स्टोन चिप्स की आपूर्ति एवं उसे फैलाने का कार्य करना (दो लिफाफा प्रणाली)।
मदुरै और तूतीकोरिन (वाया) अरुप्पुकोट्टई के बीच प्रस्तावित नवीन बीजी लाइन। मेलमरुदुर और पंडालकुडी स्टेशनों के बीच 1 x 12.20 मीटर 'टाइप पीएससी गर्डर के रूप में विभिन्न स्थानों पर दीर्घ पुलों का प्रस्तावित निर्माण (दो लिफाफा प्रणाली)।
मदुरै और तूतीकोरिन (वाया) अरुप्पुकोट्टई के बीच प्रस्तावित नवीन बीजी लाइन। मेलमरुदुर और विलाथिकुलम स्टेशनों के बीच 2 x 18.30मी. 'यू' प्रकार, 3 x 18.30मी. 'यू' प्रकार, 4 x 18.30मी. 'यू' प्रकार और 5 x 18.30मी. 'यू' प्रकार के रूप में विभिन्न स्थानों पर दीर्घ पुलों का प्रस्तावित निर्माण (दो लिफाफा प्रणाली)।
मदुरै और तूतीकोरिन (वाया) अरुप्पुकोट्टई के बीच प्रस्तावित नवीन बीजी लाइन। कुलाथुर और विलाथिकुलम स्टेशनों के बीच 25 x 18.30मी. 'यू' प्रकार के दीर्घ पुलों का प्रस्तावित निर्माण। (दो लिफाफा प्रणाली)।
सेलम और ओमलूर के बीच ट्रैक का दोहरीकरण – सेलम और मैग्नेसाइट स्टेशनों के बीच स्टील वायर रोप नेटिंग और चेन लिंक मेश नेटिंग के साथ कटिंग क्षेत्रों में ढलानों का सुदृढ़ीकरण करके प्रस्तावित ट्रैक का संरक्षण।

नकद मूल्य (₹)	बोली प्रतिभूति/धराज (₹)	समापन अवधि माह में	समापन तिथि 15.30 बजे
354812784.64	1924100.00	12	02.11.2022
101676937.67	658400.00	12	02.11.2022
138853819.06	844300.00	12	02.11.2022
359504925.26	1947500.00	12	02.11.2022
277391231.14	1537000.00	18	04.11.2022
237198372.52	1336000.00	18	04.11.2022
198601869.99	1143000.00	18	04.11.2022
43668159.54	368400.00	6	04.11.2022

अन्य भावी विवरणों के लिये कृपया पोर्टल **www.ireps.gov.in** का संदर्भ ग्रहण करें अथवा कार्यालय : मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण, ई.वी.आर. हाई रोड, एगमोर, चेन्नई–600 008 से संपर्क करें।

मुख्य अभियंता (निर्माण), एगमोर, चेन्नई–600 008

Follow us on : twitter.com/GMSRailway

पंजाब नैशनल बैंक
......भरोसे का प्रतीक

मण्डल शस्त्रा, गाजियाबाद,
केजे–13, कविनगर, गाजियाबाद – 201001,
मोन : 8283810870, 9971720088,
ई–मेलः cs8228@pnb.co.in

शुद्धि पत्र

दिनांक **09.09.2022** को इस समाचार पत्र जनसत्ता (पेज नं. 04) में छपे विज्ञापन अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी हेतु बिक्री सूचना के संदर्भ में आम जनता सूचित किया जाता है कि शाखा **मेरठ रोड गाजियाबाद (402100)** का खाता **मंजू राणा पत्नी मनोज कुमार राणा,** (क्र. सं. 10) की सम्पत्ति की ई–नीलामी दिनांक **19.10.2022** को होनी प्रस्तावित है, हम इस खाते की सम्पत्ति की ई–नीलामी को रद/निरस्त करते है।

शेष खाते / विवरण पूर्वानुसार रहेंगी।

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

केनरा बैंक Canara Bank

सिंडिकेट Syndicate

परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध (एआरएम)II शाखा
ए–27, 1ला तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016
ईमेल :cb3038@canarabank.com # 9599662508, 9990131310, 9988757969

परिशिष्ट–10 कब्जा सूचना [धारा–13(4)] (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के एक्ट 54) (यहां के बाद ''अधिनियम'' वर्णित) के अंतर्गत **केनरा बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 22.8.2019 जारी कर ऋणधारक मै. जस्सी एंड क. (पार्टनरशिप फर्म), द्वारा उसके प्रॉप्राईटर श्री जगदीश सिंह, पुत्र स्व. श्री कुलदीप सिंह तथा श्रीमती गुरशरण कौर, पत्नी श्री जसविन्दर सिंह, निवासी : सी–8, एमआईजी डीडीए फ्लैट्स, गोल व्यू अपार्टमेन्ट, साकेत, नई दिल्ली–110047 (यहां के बाद ''प्रॉप्राइटर एवं गारंटर्स'' वर्णित) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि **रु. 69,41,475.39/– (रुपये उनहत्तर लाख इकतालिस हजार चार सौ पचहत्तर एवं पैसे उन्तालिस मात्र)** वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 15 अक्टूबर, 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 75 लाख तथा उस पर ब्याज के लिए केनरा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री जसिन्दर सिंह के नाम में प्लॉट नं. 149, ब्लॉक सी, महाबीर हनुमान उद्योग पार्क, ग्राम हसनपुर मसूरी, डुण्डेहेड़ा, तहसील खेकरा, जिला बागपत में औद्योगिक सम्पत्ति

चौहद्दी : उत्तर : रोड; दक्षिण : अन्य सम्पत्ति; पूर्व : प्लॉट नं. 150; पश्चिम : मै. महावीर हनुमान की सम्पत्ति

तिथिः 15.10.2022 स्थानः नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

एसएएम शाखा दिल्ली, प्रथम तल, 17 संसद मार्ग, नई दिल्ली
दूरभाष सं. 011.40230166, मोबाइल नं. 9572326444
ईमेलः armbdelhi@indianbank.co.in

''परिशिष्ट–IV–ए'' (नियम 8(6) का प्रावधान देखें)
अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका सांकेतिक अधिग्रहण इंडियन बैंक (पूर्व में इलाहाबाद बैंक), एसएएम शाखा दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी (प्रतिभूत ऋणदाता) द्वारा कर लिया गया है, उसका विक्रय ''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर 21.11.2022 को किया जाएगा। यह विक्रय मैसर्स कार्तिक ट्रेडर्स, अपने स्वामी–श्री अनिल यादव पुत्र **जगमाल यादव के माध्यम से, पताः मकान सं. 2969, सेक्टर–23, गुड़गांव–122017**

तथा

गारंटरगण :

श्री अनिल यादव पुत्र जगमाल सिंह यादव, मकान सं. 2970, सेक्टर–23, गुड़गांव–122017

श्रीमती अंतिमा यादव पत्नी श्री पवन राव, मकान सं. 1246–पी, सेक्टर–9ए, गुड़गांव–122001

की ओर से इंडियन बैंक, एसएएम शाखा, दिल्ली (प्रतिभूत ऋणदाता) को देय–भुगतेय 14.10.2022 के अनुसार रु. 2,18,97,481/– (रुपये दो करोड़ अट्ठारह लाख सत्तानबे हजार चार सौ इक्यासी मात्र) की एक राशि और 27.09.2019 से प्रभावी होकर के वसूलीकरण तक बकाया राशि पर ब्याज एवं अन्य व्ययों की वसूली करने के लिये किया जायेगा। ई–नीलामी विधि के माध्यम से विक्रय हेतु लाई जाने वाली संपत्ति के विशिष्ट विवरण निम्नानुसार दिए गए हैंः

संपत्ति के विस्तृत विवरण	**संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश** भूमि एवं भवन– मकान सं. 1246–पी, सेक्टर–9ए, अर्बन एस्टेट, गुड़गांव–122001, माप लगभग 175.5 वर्ग मीटर, जो अंतिमा यादव के नाम पर तथा **इस प्रकार परिसीमित है :** पूर्वोत्तर– सड़क; दक्षिण पूर्व– भूखंड सं. 1247 (रिक्त); दक्षिण पश्चिम– संपत्ति सं. 1245; पश्चिमोत्तर– प्रवेश/सड़क
ऋणभारों के विवरण, स्थानीय स्व शासन, बिजली, संपत्ति कर, नगर निगम कर इत्यादि की बकाया देनदारियां, यदि कोई, जो बैंक को ज्ञात हैं	बैंक को ज्ञात नहीं हैं
आरक्षित मूल्य	रु. **2,21,00,000/-** (रुपये दो करोड़ इक्कीस लाख मात्र)
धराज राशि	रु. **22,10,000/-** (रुपये बाईस लाख दस हजार मात्र)
बोली वृद्धिशील राशि	रु. **1,00,000/-** (रुपये एक लाख मात्र)
ई–नीलामी की तिथि एवं समय	**21.11.2022** को 11.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन बोली में प्रतिभागिता करने के लिए हमारे ई–नीलामी सेवा प्रदाता एमएसटीसी लि. की वेबसाइट अर्थात् (www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi) देखें। तकनीकी सहायता के लिए कृपया एमएसटीसी हेल्पडेस्क नं. 033-23400020/23400021/23400022 और सेवा प्रदाता हेल्प डेस्क पर उपलब्ध अन्य हेल्प लाइन नंबरों पर कॉल करें। एमएसटीसी लि. के साथ पंजीकरण स्थिति के लिए कृपया ibapiop@mstcecommerce.com पर तथा धराज स्थिति के लिए कृपया ibapifin@mstcecommerce.com पर संपर्क करें।

संपत्ति विवरणों तथा संपत्ति के चित्र और नीलामी के नियमों व शर्तों के लिए कृपया https://ibapi.in पर जाएं और इस पोर्टल से संबंधित स्पष्टीकरणों के लिए कृपया हेल्प लाइन नंबर '18001025026' तथा '011-41106131' पर संपर्क करें।

बोलीदाताओं को सलाह है कि वे https://ibapi.in एवं www.mstcecommerce.com की वेबसाइट पर संपत्ति की ढूंढ करते समय उपरोक्त वर्णित संपत्ति आईडी संख्या का प्रयोग करें।

दिनांकः 15.10.2022 — स्थानः नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक pnb punjab national bank
.....भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!

सर्कल सस्त्र केंद्र,
सर्कल कार्यालय बुलंदशहर,
ईमेलः cs8212@pnb.co.in
दूरभाषः 8171640088

ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता के लिए 60 दिवसीय सूचना

आप सभी को अधोवर्णित प्रतिभूतियों के अंतर्गत एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक ने सरफॉएसि अधिनियम के तहत आप में से प्रत्येक के विरुद्ध कार्यवाहियां प्रारंभ कर दी हैं और अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना आप में से प्रत्येक को पृथक रूप में निम्नांकित तिथि को स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित की जा चुकी थी, परंतु सूचना आपको प्राप्त ही नहीं हो पाई। अतः आप में से प्रत्येक को एतद्द्वारा संयुक्त एवं पृथक रूप में यह सूचना प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है कि इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों की समयावधि में निम्न विवरणित बकाया राशि का भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर बैंक उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत निम्न वर्णित संपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह सूचना आपको बैंक के पास उपलब्ध किसी अन्य उपाय के पूर्वाग्रह के बिना सम्बोध्य है। ऋणकर्ताओं एवं गारंटरों को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि निम्न वर्णित संपत्ति का लेन–देन न करें तथा इन संपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, निर्धारित बकाया धनराशियों तथा इन धनराशियों पर ब्याज हेतु पंजाब नैशनल बैंक के प्रभाराधीन होगा।

कृपया यह सूचना भी प्राप्त कर लें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार आप इस सूचना की प्राप्ति के उपरांत उपरोक्त संदर्भित किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्तियों का बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अतिरिक्त) हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि इस सांविधिक निषेध/प्रतिबंध का यदि कोई उल्लंघन होता है, तो उक्त अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार ऐसा होना एक अपराध है। यदि किसी कारणवश, प्रतिभूत परिसंपत्तियों का व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत विक्रय किया जाता है अथवा उन्हें पट्टे पर दिया जाता है तो विक्रयगत आय अथवा वसूलीगत आय बैंक में/उसके पास जमा/प्रेषित होगी। आपको ऐसे वसूलीकरण/आय के समुचित खाते को बनाकर रखना होगा। कृपया इस सूचना के अंतर्गत निर्गत इस मांग का अनुपालन करें और सभी अप्रिय गतिविधियों से बचें। अनुपालन न करने की स्थिति में आपको समस्त लागतों एवं परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए आगे की आवश्यक कार्रवाई का सहारा लिया जाएगा।

क्र. सं.	शाखा कार्यालय	1. खाता संख्या, 2. सुविधा की प्रकृति एवं राशि, 3. मांग सूचना की तिथि, 4. बकाया राशि (रु.)	ऋणकर्ताओं/गारंटरों का नाम एवं पता	प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण
1.	शा.का.: आवास विकास, बुलंदशहर	1. खाता सं: 656400NC00000192, 656400NC00000235 एवं 6564009900000115 2. (क) सावधि ऋण – रु. 8,54,000/- (ख) सावधि ऋण – रु. 5,91,200/- (ग) ओवरड्राफ्ट – रु. 15,00,000/- 3. 19.05.2022 4. (क) रु. 9,35,003.00 + 01-05-2022 से प्रभावी ब्याज, अन्य लागत एवं व्यय (ख) रु. 6,54,279.00 + 01-05-2022 से प्रभावी ब्याज, अन्य लागत एवं व्यय (ग) रु. 15,44,660.00 + 01-05-2022 से प्रभावी ब्याज, अन्य लागत एवं व्यय	1. श्री अंकित कुमार पुत्र श्री बृजपाल सिंह **निवासी** 11/570, राधा नगर, बुलंदशहर 203001 (उधारकर्ता/बंधककर्ता)	**आवासीय संपत्ति सं. सी–160, क्षेत्र माप 72.00 वर्ग मीटर जो गंगानगर, नगर बुलंदशहर में स्थित तथा श्री अंकित कुमार के नाम पर और इस प्रकार परिसीमित हैः पूर्व– भूखंड सं. सी 159 पश्चिम– भूखंड सं. सी 161 उत्तर– सड़क दक्षिण– भूखंड सं. सी 165 * नामाधिकार विलेख के अनुसार सम्पत्ति विवरण**

दिनांकः 17.10.2022, स्थानः बुलंदशहर — **आपका विश्वासपात्र, प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक**

पंजाब नैशनल बैंक pnb punjab national bank
.....भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!

कब्जा सूचना [धारा 13(4) के साथ पठित नियम 8(1)]

सर्किल सस्त्र सेंटर, सर्किल कार्यालय बुलन्दशहर, ई-मेल : **cs8212@pnb.co.in**; दूरभाष : 81716640088

जैसा कि वित्तीय आस्तियों के प्रवर्तन एवं प्रतिभूतिकरण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में पंजाब नैशनल बैंक के अधिकृत प्राधिकारी ने नीचे तालिका में उल्लिखित तिथियों पर कथित सूचना(ओं) की की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित कर्जदार/रों से तालिका में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए माँग सूचना जारी की थी।

कर्जदार के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्द्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथियों पर कब्जा कर लिया है।

प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार/रों तथा जनसामान्य को एतद्द्वारा सम्पत्ति/यों से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति/यों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार राशि तथा पूर्ण भुगतान तक उस पर ब्याज के लिए **पंजाब नैशनल बैंक** के प्रभार का विषय होगा।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	शाखा का नाम	खाते का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	नोटिस चिपकाकर कब्जा करने की तिथि	मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि
1.	सिविल लाइन्स बुलन्दशहर	श्री राकेश कुमार श्रीमती बॉबी कुमारी खाता 666100NC00005368 तथा 6661009900001125	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री सामंती सिंह के नाम पर आवास विकास योजना प्रथम अवंती नगर, बुलंदशहर में स्थित आवासीय भवन संख्या एमआईजी 737, माप क्षेत्र 286.45 वर्ग मीटर। सीमाएँः पूर्वः 6 मीटर रोड पश्चिमः एमआईजी 738 उत्तरः एलआईजी 777–778 दक्षिणः 9 मीटर रोड ***शीर्षक विलेख के अनुसार संपत्ति का विवरण**	19.05.2022	19.05.2022	**Rs.** 26,24,480.28 (रुपये छब्बीस लाख चौबीस हजार चार सौ अस्सी एवं अट्ठाईस पैसे मात्र) + 01.07.2022 से ब्याज
2.	सिविल लाइन्स बुलन्दशहर	रिषभ सिंह पुत्र सुनील सिंह 006900SA00000027, 006900SA00000018, 006900SB00000015, 006900AG00000177	श्रीमती सुषमा सिंह पत्नी श्री सुनील सिंह के नाम पर अनंत एन्क्लेव कॉलोनी गांव वलीपुरा तहसील और जिला बुलंदशहर में स्थित प्लॉट संख्या 6 क्षेत्र 143.61 वर्ग मीटर की संपत्ति 143.61 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का विक्रय विलेख पुस्तक 1 खंड 4306, पृष्ठ 245-262 में दिनांक 27.05.2015 को क्रम संख्या 5502 पर सुषमा सिंह के पक्ष में दर्ज। निम्नानुसार सीमाबद्धः पूर्वः प्लॉट नंबर 5 लाखन सिंह, पश्चिमः प्लॉट नंबर 4,5,6,7 उत्तरः प्लॉट नंबर 7 अजय कुमार अग्रवाल, दक्षिणः रोड *** टाइटल डीड के अनुसार संपत्ति का विवरण।**	19.05.2022	19.05.2022	रु. 1,18,44,209.30 (रुपये एक करोड़ अठारह लाख चौवालीस हजार दो सौ नौ एवं तीस पैसे मात्र) + 01-04-2022 से ब्याज + अन्य लागत एवं व्यय

तिथि : 17.09.2022, स्थान : बुलन्दशहर — अधिकृत प्राधिकारी, कृते पंजाब नैशनल बैंक, सर्किल सस्त्र हेड (मुख्य प्रबन्धक)